

न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा (म०प्र०)

R5022-117



विद्याधर शर्मा तनय स्व० शिवनाथ शर्मा, उम्र-72 वर्ष, पेशा-पेंशनर
निवासी-ग्राम इटौरा, तहसील-हुजूर, जिला रीवा (म०प्र०)

—आवेदक

बनाम

- 1- भगवानदीन शर्मा तनय स्व० शिवनाथ शर्मा उम्र-70 वर्ष,
निवासी-ग्राम इटौरा, तहसील-हुजूर, जिला रीवा म०प्र०
- 2- शासन म०प्र० द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा

—अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक रीवा
गिर्द तहसील हुजूर, जिला रीवा के राजस्व
प्र०क्र० 190अ-12/15-16 में पारित आदेश
दिनांक 02.08.2016 निगरानी अन्तर्गत धारा
50 म०प्र० म०रा० संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर
प्रस्तुत है:-

1. यह कि राजस्व निरीक्षक रीवा गिर्द तह० हुजूर जिला रीवा के
द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 02.08.2016 विधि एवं
प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अनावेदक क्र० 1 के द्वारा जिन आराजियातो का
सीमांकन अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक से करवाया गया है, उनमें
से आराजी खसरा क्र० 487/2 के रकवे से शासकीय नहर हेतु
अर्जन किया जाकर नहर का निर्माण किया जा चुका है, जिसके

ml

Wm



अधिकांश मनीष मिश्रा
वत् ५/१५/१७
117-117
म
रिजिस्ट्रार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-5022-II/17

जिला-रीवा

विद्याधर शर्मा / भगवानदीन शर्मा वगैरः

(1)	(2)
19-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री मनीष मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 19/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 02.08.16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p> <p style="text-align: left;">  </p>